

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 7, 1935

No. 29]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 7, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 27 जनवरी, 2014

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण)
विनियम, 2007 के विनियम 3 के अधीन अधिसूचना**

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ.//जी.एन./2013-14/42/118.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 (इसमें इसके पश्चात् "विनियमों" के रूप में उल्लिखित) के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अनुसार, बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, विनियमों में यथा परिभाषित किसी प्रवर्ग के सहयुक्त व्यक्तियों से अपेक्षित प्रमाणीकरण (प्रमाणीकरणों) को अभिप्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है।

2. तारीख 19 जून, 2013 की अधिसूचना के माध्यम से, यह अधिसूचित किया गया था कि विनिधान (निवेश) सलाहकार और उनके सहयुक्त व्यक्ति, जिनमें उनके भागीदार तथा प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, विनिधान (निवेश) सलाह देने वाले, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की तारीख

21 मई, 2013 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-X-ए:आईए-एल1/2013/01 में यथा उल्लिखित एनआईएसएम-शृंखला-X-ए: निवेश सलाहकार (स्तर 1) प्रमाणीकरण परीक्षा (इसमें इसके पश्चात् "आईएसीई-1" के रूप में उल्लिखित) या राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की सर्टिफाइड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की परीक्षा को उत्तीर्ण किये जाने का राष्ट्रीय प्रतिभूति

बाजार संस्थान का प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करेंगे। यह भी उल्लेख किया गया था कि ऐसा सहयुक्त व्यक्ति, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {विनिधान (निवेश) सलाहकार} विनियम, 2013 के विनियम 7 के उप-विनियम (2) के प्रयोजनार्थ, एनआईएसएम-श्रृंखला-X-बी : निवेश सलाहकार (स्तर 2) प्रमाणीकरण परीक्षा को उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाणीकरण भी अभिप्राप्त करेगा, जब कभी बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाये।

3. तदनुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि विनिधान (निवेश) सलाहकार और उनके सहयुक्त व्यक्ति, जिनमें उनके भागीदार तथा प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, विनिधान (निवेश) सलाह देने वाले, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की तारीख 26 नवम्बर, 2013 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-X-बी:आईए-एल2/2013/01 में यथा उल्लिखित एनआईएसएम-श्रृंखला-X-बी : निवेश सलाहकार (स्तर 2) प्रमाणीकरण परीक्षा (इसमें इसके पश्चात् "आईएसीई-2" के रूप में उल्लिखित) को उत्तीर्ण किये जाने का राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान का प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करेंगे :

परंतु यह कि यदि ऐसा सहयुक्त व्यक्ति इस अधिसूचना की तारीख को फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड इंडिया (इसमें इसके पश्चात् "एफपीएसबी इंडिया" के रूप में उल्लिखित) के "सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर" प्रमाणीकरण को उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर चुका हो या इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों के भीतर एफपीएसबी इंडिया का "सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर" प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर लेता है, तो उससे आईएसीई-1 या आईएसीई-2 को उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा।

4. इस अधिसूचना में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, ऐसा सहयुक्त व्यक्ति, आनुकल्पिक रूप से, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {विनिधान (निवेश) सलाहकार} विनियम, 2013 के विनियम 7 के उप-विनियम (2) के प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान द्वारा प्रत्यायित संगठनों और संस्थाओं से भी प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर सकेगा।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./69-जैडबी/13]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th January, 2014

Notification under Regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007.

No. LAD-NRO/GN/2013-14/42/118.—In terms of sub-regulation (1) of Regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as "the Regulations"), the Board may require, by notification, any category of associated persons as defined in the Regulations to obtain requisite certification(s).

2. *Vide* notification dated 19th June, 2013, it was notified that Investment Advisers and their associated persons, including their partners and representatives, offering investment advice, shall obtain certification from the National Institute of Securities Markets (hereinafter referred to as "NISM") by passing the NISM-Series-X-A: Investment Adviser (Level 1) Certification Examination (hereinafter referred to as "IACE-1") as mentioned in the NISM communiqué No. NISM/Certification/Series-X-A: IA-L1/2013/01, dated May 21, 2013 or NISM Certified

Personal Financial Advisor examination. It was also mentioned that such associated person shall also obtain certification for the purpose of sub-regulation (2) of Regulation 7 of the SEBI (Investment Advisers) Regulations, 2013 by passing NISM-Series-X-B: Investment Adviser (Level 2) Certification Examination, as and when notified by the Board.

3. Accordingly, it is notified that Investment Advisers and their associated persons, including their partners and representatives, offering investment advice, shall obtain certification from NISM by passing the NISM-Series-X-B: Investment Adviser (Level 2) Certification Examination (hereinafter referred to as "IACE-2") as mentioned in the NISM communiqué No. NISM/Certification/Series-X-B: IA-L2/2013/01, dated November 26, 2013:

Provided that if such an associated person has obtained certification by passing "Certified Financial Planner" certification from the Financial Planning Standards Board India (hereinafter referred to as "FPSB India") as on date of this notification or obtains the "Certified Financial Planner" certification from FPSB India within thirty days from the date of this notification, he shall not be required to obtain certification by passing the IACE-1 or IACE-2.

4. Notwithstanding anything contained in this notification, such associated person, may, in alternative, also obtain certification from organizations and institutions accredited by NISM, for purpose of sub-regulation (2) of Regulation 7 of the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69-ZB/13]